<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला टोंक</u>

पीठासीन अधिकारी अर्पीता सोनी (आरएएस)

प्रकरण संख्या 90/20117

तारीख दायरा 27.7.2017

उनवान

1.श्योजीराम पुत्र ग्यारीराम जाति खाती निवासी रानोली तह0 पीपलू जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

1.सरपंच ग्राम पंचायत रानोली तह0 पीपलू जिला टोंक

कुल 3 कस

प्रतिपक्षीगण

तारिख फैसला 18.4.2018

वाद बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अ0धारा 212 आर0टि0 एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता :- राजाराम चौधरी

अप्रार्थी अधिवक्ता :-नन्दकिशोर शर्मा गुर्जर

<u>निर्णय</u>

प्रार्थना पत्र के सारांश में इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि अराजी ख0न0 3632/2149 रकबा 03 बिस्वा वाके ग्राम रानोली तहसील पीपलू मे स्थित है।, जिसमें प्रार्थी शान्ति पूर्वक काबिज है। एवं उपयोग – उपभोग करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। परन्तु प्रार्थी के कब्जे मं जबरन उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करने पर अमादा है। जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। वर्तमान में प्रार्थी उक्त भूमि में कृषियंत्र आदि रख कर उपयोग--उपभोग करता चला आ रहा है। जिसको नाजायज रूप से परेशान करने की नियत से व भूमि से बेदखल करने पर अमादा है जिससे प्रार्थी को अपार हानि होगी और कई मुकदमे बाजी बढगे । केस प्रार्थी के पक्ष में प्रईमाफेसीया सिद्व है। सुविधा का सतुलंन भी प्रार्थी के पक्ष में है। तथा अपूर्णिय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है। इस कारण मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी प्रतिवादी की गई प्रतिवादी की ओर से जरिये अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र के सभी चरणो को गलत बताते हुऐ अस्वीकार करते हुऐ विशेष आपत्तियॉ पेश की है कि वादी ने झुठा दावा पेश किया है। क्योकि वादी द्वारा पंचायत की भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है जिसको हटाने से उनके प्रभाव से बचने के कारण दावा पेश किया है । अप्रार्थीगण स्थानिय निकाय ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि व कर्मचारी है जो नियमानुसार अपने कर्तव्य का पालन कर रहे है। जिनको पाबन्द किया जाना न्याय संगत नही है तथा अतिक्रमण नही हटाया गया तो आम जनता को परेशानी होगी प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में केश प्राईमापेशिया सिद्व नही है। तथा सुविधा का सन्तुलंन व अपुर्णिय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नही होने से ऐसी स्थिति में प्रा0पत्र सारहीन विधिहीन होने से खारिज किया जावे।

हमने बहस अधिवक्तागण सुनी । प्रार्थी के अधिवक्ता ने दोराने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए गैर खातेदार होना व सुविधा का संतुलन होना प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होने से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक प्रतिपक्षी को पाबन्द करने का निवेदन कियां। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपने जवाब के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वादी अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र के सभी चरणो को गलत बताते हुऐ अस्वीकार करते हुऐ विशेष आपत्तियॉ पेश की है कि

अर्पीता

पंचायत की भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण कर रखा है जिसको हटाने से उनके प्रभा
से बचने के कारण दावा पेश किया है । अप्रार्थीगण स्थानिय निकाय ग्राम पंचायत के प्रतिनि
व कर्मचारी है जो नियमानुसार अपने कर्तव्य का पालन कर रहे है। जिनको पाबन्द कि
जाना न्याय संगत नही है तथा अतिकमण नही हटाया गया तो आम जनता को परेशानी हो
प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में केश प्राईमापेशिया सिद्व नही है। तथा सुविधा का सन्तुलंन
अपुर्णिय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नही होने से ऐसी स्थिति में प्रा0पत्र सारह
विधिहीन होने से खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, प्रतिवादीगण के जवाब, बहस
जमाबन्दी भूमि अराजी ख0न0 3632/2149 रकबा 03 बिस्वा वाके ग्राम रानोली तहसील पी
में स्थित है जिसके अवलोकंन पर यह प्रतीत होता है कि राजस्थान भू–राजस्व (संग्रहस्
हदु भूमि आवंटन) नियम 1961 के अन्तर्गत आवंटन किया गया है। आवंटन की शर्त सं0 2
विपरित सहवन से राजस्व कर्मियों द्वारा जमाबन्दी में गैर खातेदारी का अमल कर दिया
है यदि प्रार्थी को पट्टा या किसी प्रकार का आवंटन किया गया है तो प्रार्थी ने अपने प्रा
पत्र में प्रति पेश नही की है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में केश प्राईमापेशिया सिद्व
है तथा सुविधा का सन्तुलंन व अपुर्णिय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही
है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता
निर्णय आज 18.4.2018 को सरे इजलाश सुनाया गया

(अर्पिता सो
आर0ए0
उपखण्ड अधि
पीपलू